अपील सूचना अधिकार संख्या 07/2021 (GCMS 2021/12) महबूब अली पुत्र श्री कुदरत अली निवासी सट्टा बजारा कोटगेट, बीकानेर (मोबाईल नं. 8958–52985) बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

15.03.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महबूब अली उपस्थित नही है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.2020 के द्वारा सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी महबूब अली ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> **गांव मानकरसर में दर्ज रहमत अली पुत्र फूलूशाह व आयना पत्नी रहमत अली जाति रंगारा कि वर्ष 1920 से 1980 तक की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतियां देवें।**

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्रांक रीडर/सू.का.अ./2020/352 दिनांक 29.12.2020 से अपीलार्थी को उसके प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा "गांव मानकसर में दर्ज रहमत अली पुत्र फूल शाह व अपना पत्नी रहमत अली के नाम पर जो भूमि है उसकी वर्ष 1920 से 1980 तक की

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जमाबंदी व खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। आवेदन पत्र में खसरा व सम्वत् अंकित नहीं किये गये है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत खोजकर खोजी गई सूचना व बिना विशिष्टियों के सूचना देने का प्रावधान नहीं है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय समय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन कर विशिष्टिया दर्ज करें ताकि आपको वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सके।

-sd-
तहसीलदार (राजस्व)
सूरतगढ

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध **में भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 10 जुलाई 2008 अवलोकनीय** है जिसमें निम्न प्रकार से अंकित किया गया है :

सूचना और सूचना का अधिकार की परिभाषा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि नागरिक को सामग्री प्राप्त करने, सामग्री का निरीक्षण करने, सामग्री से नोट लेने, सामग्री का उद्धरण अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने, सामग्री के नमूने लेने, डिस्केट इत्यादि के रूप में सामग्री लेने का अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को ऐसी सामग्री भेजे जिसके लिए उसने अनुरोध किया हो। अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से ये अपेक्षित नही है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

निकाले निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध हो। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं हैं।

चूंकि उक्त प्रपत्र से यह अपेक्षित है कि लोक सूचना अधिकारी उसी रूप में सामग्री प्रदान करे जिस रूप में लोक प्रधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना का अधिकारी का काम नहीं है। इस दृष्टिकोण से अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 29.12.2020 से जो उत्तर दिया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओ को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि **अगर प्रार्थी वांछित अभिलेख की विशिष्टियां उपलब्ध करवा देता तो उसे कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा देवें और उसमें से वांछित अभिलेख की सूचना इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर–भीतर नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर